राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1159/2010/दौसा.

मैसर्स बजरंग इण्डस्ट्रीज, खादी भण्डार रोड़, दौसा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–दौसा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25/02/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 03/अपील्स–चतुर्थ/08–09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–दौसा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 37 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001–02 के मूल कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा एक घोषणा–पत्र एस.टी.17 संख्या 16332/25 क्रेता व्यवहारी मैसर्स श्रीनाथ ट्रेडर्स, शाहपुरा बिल संख्या 4077 दिनांक 03.10.2001 राशि 1,99,325/– अवधिपार प्रस्तुत किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 22.01.2008 पारित करते हुए उक्त घोषणा–पत्र को अमान्य किया गया एवं घोषणा–पत्र की राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 7,973/– व ब्याज रूपये 7,576/– कुल रूपये 15,549/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

मनोहर पुरी

लगातार.....2

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी ने बहस के दौरान कथन किया कि उनके द्वारा घोषणा—पत्र एस.टी.17 के समर्थन से माल का विक्रय किया गया है। क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रयार्थ माल क्रय किया गया है तथा कर वसूल किया जाकर माल का विक्रय कर दिया है तथा देय कर राजकोष में जमा भी करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में घोषणा—पत्र को कालातीत मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित किया जाना दोहरे करारोपण की श्रेणी में आता है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का मूल कर निर्धारण आदेश सचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया था। वक्त कर निर्धारण सभी तथ्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध थे, जिन पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरान्त कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। अतः सचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को धारा 37 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा **अपील संख्या 211/98/जयपुर मैसर्स एस. जी. एन्टरप्राईजेज जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.4.2003** को उद्धरित करते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त मूल कर निर्धारण आदेश त्रुटिवश घोषणा—पत्र के कालातीत होने का तथ्य ध्यान में नहीं आने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत उक्त त्रुटि, जो कि रेकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित थी, को संशोधित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक के न्यायिक दृष्टान्त में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि रेकॉर्ड से परिलक्षित कोई त्रुटि हो तो वह धारा 37 के तहत संशोधनीय है। मूल कर निर्धारण आदेश पारित करने में हुई उक्त त्रुटि मानवीय भूल की श्रेणी में आती है तथा रेकॉर्ड से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने के कारण अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधनीय है। ऐसी स्थिति में उक्त भूल को सुधारते हुए मांग सृजित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा—पत्र एस.टी.17 कालातीत पाये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.11.2007 में निवेदन किया गया कि उनके द्वारा 15 दिवस में नया घोषणा—पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा, किन्तु कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.01.2008 तक नया घोषणा—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में विवादित बिन्दु मात्र घोषणा—पत्र एस.टी.17 के कालातीत प्रस्तुत किये जाने का ही है। कालातीत घोषणा—पत्र एस.टी.17 एक संशोधनीय त्रुटि है। अतः अपीलार्थी को अपने क्रेता व्यवहारी से विधिक घोषणा—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित कालातीत घोषणा—पत्र एस.टी.17 के स्थान पर विधिक घोषणा—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, इसे स्वीकार करते हुए, तदनुसार आदेश पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति से एक माह की अवधि में अपने क्रेता व्यवहारी से विधिक एवं मान्य घोषणा—पत्र एस.टी.17 प्राप्त कर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। अपीलार्थी द्वारा आदेश प्राप्ति से एक माह की अवधि में विधिक घोषणा—पत्र एस.टी.17 प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 22.01.2008 बहाल माना जावेगा तथा अपीलार्थी तदनुसार कर व ब्याज भुगतान हेतु दायी होगा।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 25/02/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य